उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 228वीं बैठक
दिनांक 18 जून, 2014 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 228वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	श्री एम.के.एस.सुन्दरम	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
4—	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
5—	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
6—	श्री अजय कुमार मिश्र	वरि0 नगर नियोजक प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
7—	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
8—	श्री श्रवण कुमार सिंह	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
9—	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
10—	श्री डी0आर0यादव	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष,ल0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

मद सं0	विषय	निर्णय
228/1	परिषद की 227वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 227वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
228/2	परिषद की 227वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2014 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 227वीं बैठक दिनांक—20.02.2014 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में पारित प्रस्तावों में यदि किसी निर्णय पर अनुपालन नहीं किया जा सका हो तो ऐसे प्रकरणों की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

प्रशासन अनुभाग

228/3	परिषद के अधिकारियां/कर्मचारियों को दिया जा रहा चिकित्सा भत्ता रु0 30.00 में वृद्धि किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद के अधिकारियों /कर्मचारियों की चिकित्सा भत्ता रु0 30.00 प्रतिमाह के स्थान पर रु0 200.00 प्रतिमाह इस शर्त के साथ अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया कि उक्त से संबंधित प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भी संदर्भित कर दिया जाये।
228/4	आशुलिपिक ग्रेड—2 के कार्मिकों को निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निजी सचिव के 05 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

228/5	परिषद में दैनिक वेतन/मस्टररोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1991 से पूर्व के कार्यरत 3 दैनिक वेतन/मस्टररोल वाहन चालकों को विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष के विषय में आवास आयुक्त अपने स्तर से कमेटी बनाकर समस्त बिन्दुओं के परीक्षणोपरान्त आवश्यकतानुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

228/6	मा0 निदेशक मण्डल की 223वीं/3 बैठक दिनांक 08.03.2013 व 225वीं/32 बैठक दिनांक 14.08.2013 में लिए गये निर्णय के परिपेक्ष्य में वृन्दावन योजना, लखनऊ में हितबद्ध कास्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक–31.12.2014 तक समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।
228/7	मेरठ नगर में मेरठ गढमुक्तेश्वर मार्ग पर संचालित जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0–11 मेरठ में समाहित समस्त भूस्वामियों को एक रूपता रखते हुए समान रूप से अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228/8	गाटा सं0–470 रकबा 1बीघा 3विस्वा 15 विस्वांसी स्थित ग्राम–बटहा सबौली तहसील सदर लखनऊ को अर्जन मुक्त करने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत खसरे की भूमि का दाखिल खारिज आशियाना सहकारी आवास समिति के पक्ष में न होने के कारण प्रश्नगत भूमि श्री लालता की पत्नी, श्रीमती रामदुलारी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुयी, जिसे श्रीमती रामदुलारी द्वारा श्री इन्दल कुमार व श्री राजेन्द्र कुमार के पक्ष में दिनांक–14.07.10 को बैनामा किया गया। उक्त भूमि का न तो एवार्ड घोषित है और न ही परिषद को कब्जा प्राप्त है। संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का कब्जा प्राप्त होना भी संभव नहीं है। अतः उक्त खसरे की भूमि का वर्तमान दर का 20 प्रतिशत असुधार शुल्क लेकर इन शर्त के अधीन योजना में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया जाता है कि परिषद के विरूद्ध श्री इन्दल कुमार व श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा दायर वादों को बिना शर्त वापस ले लिये जायेंगे तथा इस खसरे पर परिषद द्वारा आवंटित भूखण्डों को अन्यत्र स्थान पर समायोजित किया जायेगा।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

228/9	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या बी–1 के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
228/10	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या ए–34 के	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते

	भू-प्रयोग परिवर्तन के संबंध में।	हुए भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
228/11	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-1 की लगभग 25 एकड़ भूमि पर अवध शिल्प ग्राम (लखनऊ हाट) का निर्माण किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त अवध शिल्प ग्राम परियोजना के विकास हेतु वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि कार्य-योजना बनाकर समयबद्ध अवध शिल्प ग्राम का निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाये।
228/12	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की मास्टर प्लानिंग, डिटेलिंग, लैण्ड स्केपिंग, सर्विस डिजाइन, आर्किटेक्ट कन्सलटेंटस साईनेज आदि कार्यो की आउट सोर्सिंग करते हुए निजी कन्सलटेंटस के माध्यम से कार्य कराये जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि संदर्भित दोनों परियोजनाओं की परिकल्पना उच्चतम् स्तर की रखी जाये।

वित्त एवं लेखनुभाग

228/13	परिषद कार्मिकों के लिए लागू सी0पी0एफ0 योजना (अंशदायी भविष्य निधि योजना) के क्रियान्वयन हेतु ट्रस्ट के गठन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228/14	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के लिए नई सामूहिक बीमा पॉलिसी लिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

228/15	डा0 अम्बेडकरपुरम् योजना सं0-3, कानपुर के सेक्टर-ई (पार्ट) में स्ववित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 274 नग बहुमंजिले फ्लैट (गंगा इन्क्लेव) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228/16	हंसपुरम् योजना सं0-2, कानपुर फेज-1 व 2 की सड़क, पार्क/ओपेन स्पेस एवं बरसारित नालियों को नगर निगम, कानपुर को हस्तान्तरित किये जाने हेतु नगर निगम, कानपुर को उनसे प्राप्त प्राक्कलन/मांग पत्र के अनुसार दी जाने वाली धनराशि रु0 2031.75लाख की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228/17	वृन्दावन योजना सं0-4, लखनऊ के सेक्टर-18 में स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2013 के अन्तर्गत "कैलाश इन्क्लेव" में प्रस्तावित 3बी0एच0के0 प्रकार के 576नग फ्लैटस (एस+8) का निर्माण कार्य	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228/18	अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), लखनऊ के पॉकेट-1,के सेक्टर-1 में प्रस्तावित अवध शिल्प-ग्राम के निर्माण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	
226/19	वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ के सेक्टर–18 में स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत "कैलाश इन्क्लेव" में प्रस्तावित 2बी0एच0के0 प्रकार के 688नग फ्लैटस (एस+8) का निर्माण कार्य ।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

228/20	स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी, लेखाकार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

228/21	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की झूँसी योजना संख्या–3, इलाहाबाद के अन्तर्गत खसरा संख्या–214 रकबा 1–5–0 बीघा भूमि को आसुधार शुल्क लेकर अर्जनमुक्त किये जाने संबंधी परिषद बोर्ड द्वारा लिये गये पूर्व निर्णय के संबंध में पुनः परिषद की बोर्ड बैठक में रखकर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण में मा0 परिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। अतः निर्देशित किया गया कि पूर्व में पारित निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
228/22	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की घटवासन गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा मौजा घटवासन तहसील व जिला आगरा के भूखण्ड संख्या–1213 रकबा 2574.00 वर्ग गज भूमि का वर्तमान दर का विकास शुल्क लेकर समायोजित करने के संबंध में।	सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का वर्तमान दर पर विकास शुल्क लेकर समायोजन करने की कार्यवाही की जाये।
228/23	लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद के अन्तर्गत शासनादेशसंख्या–4128/9–आ–3–2002–20 एल0ए0/92 (आ0ब0) दिनांक 22.10.02 की शर्त को पूर्ण न करने वाली 04 सहकारी आवास समितियों की भूमि समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सहकारी आवास समितियों के समायोजन हेतु निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
228/24	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ एवं मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 लखनऊ में विकसित की जा रही हाई टेक टाउनशिप के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराया गया कि परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ स्थित ग्राम बरौना की लगभग 100.00 एकड़ भूमि पर लम्बे समय से मै0 अंसल के साथ विवाद चल रहा है। उक्त भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मै0 अंसल द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप की डी0पी0आर0 भी स्वीकृत है तथा उक्त

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में भी लंबित है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर निर्देश दिये गये है कि उक्त समस्या का समाधान करते हुए यथाशीघ्र निर्णय लिया जाये। विचारोपरान्त व्यापक जनहित एवं परिषद हित को ध्यान में रखते हुए निम्न शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:–

1. ग्राम बरौली खलीलाबाद एवं घुसवल कला में स्थित लगभग 35 एकड़ भूमि जो मै0 अंसल द्वारा पूर्व में कय की जा चुकी है, जिसका स्वामित्व मै0 अंसल के पास है, परन्तु यह भूमि आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना की सीमा के अन्दर स्थित है, जिसका मुआवजा परिषद द्वारा नहीं देना होगा।

2. मै0 अंसल को दी जाने वाली 75.00 एकड़ भूमि में यदि परिषद द्वारा कुछ भूमि का प्रतिकर का भुगतान किया गया है तो उक्त धनराशि मै0 अंसल से वसूल की जायेगी। अवशेष भूमि के प्रतिकर का भुगतान मै0 अंसल द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3. चूँकि परिषद द्वारा अवध विहार योजना भू अर्जन हेतु प्रशासनिक व्यय भी किया गया है। अतः परिषद द्वारा प्रशासनिक मद में व्यय की गयी धनराशि की अनुपातिक धनराशि मै0 अंसल से प्राप्त की जाये। इस क्षेत्र में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लगभग 14.14 करोड़ का विकास कार्य किया जा चुका है, उसकी अदायगी दोनों पक्षों द्वारा ज्वाइंट बेरीफिकेशन/वैल्यूशन के आधार पर मेसर्स अंसल द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को की जायेगी।

4. सुल्तानपुर रोड से मैं0 अंसल द्वारा विकसित की जा रही योजनान्तर्गत स्थित 45.00 मीटर चौडे मार्ग जो अवध विहार की योजना में भी स्थित है, को आवागमन हेतु खोला जाये।

5. परिषद द्वारा विकसित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं का लाभ यदि मै0 अंसल को प्राप्त हो रहा है तो उक्त योजना में होने वाली व्यय की अनुपातिक धनराशि हाईटेक टाउनशिप नीति 2005 के अनुसार मै0 अंसल द्वारा देय होगी।

6. मै0 अंसल द्वारा रेल ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) का निर्माण कराया जायेगा। मै0 अंसल द्वारा 220 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा और इसी सब स्टेशन से अवध विहार योजना को भी सप्लाई की जायेगी।

7. रु0 640.00 प्रति वर्गमीटर की धनराशि की दर से वाह्य विकास शुल्क मै0 अंसल द्वारा दिया जायेगा।

		8. अन्य बिन्दुओं पर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है। 9. अन्य शर्तें प्रस्ताव अनुसार यथावत रहेगीं।
228 / 25	लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पुरसैनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ में मैसर्स डी0एल0एफ0 लिमिटेड द्वारा इन्ट्रीग्रेटेड आवासीय योजना के अन्तर्गत विकसित की जा रही योजना की नियोजन समिति की संस्तुतियां एवं धारा–31(1) का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
228 / 26	जागृति विहार योजना संख्या–11, मेरठ में समाविष्ट ग्राम–सरायकाजी खसरा संख्या–226 की भूमि का एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में।	इस प्रकरण के समान 28 वाद मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं इसलिये इस प्रकरण का विधिक परीक्षण करके सुसंगत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।
228 / 27	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत आसुधार शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
228 / 28	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि जिसे जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा हिण्डन पक्षी विहार के लिए किये गये आवंटन से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा वन विभाग के मध्य उत्पन्न हुए विवाद तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–25091/08 मै0 गौड़सन्स इण्डिया लि0 बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2012 के अनुपालन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों की वसूली सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

वित्त एवं लेखानुभाग

228 / 29	परिषद के ग्रेच्युटी ट्रस्ट की वित्तीय वर्ष 2012–13 के बैलेन्स शीट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

228 / 30	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में आवासीय भूखण्ड सं0 14ए/678 के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत भूखण्ड पर देय अतिरिक्त ब्याज, विलम्ब शुल्क की धनराशि को छोड़कर अवशेष धनराशि जमा कराते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
228 / 31	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति का विक्रयोपरान्त नामान्तरण।	आवास आयुक्त इस प्रकरण का परीक्षण करके अपने स्तर से निस्तारण करें और यदि बोर्ड के निर्णय की कोई आवश्यकता हो तो आगामी बोर्ड बैठक में सुसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

228/32	परिषद की अनिस्तारित अवशेष दुकानों/क्योस्कों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	अवगत कराया गया कि उक्त दुकानें सुविधाजनक दुकानों की श्रेणी में हैं तथा एक ही तल निर्मित व अनुमन्य है। ऐसी दशा में भूमि दर आवासीय दर के बराबर लगायी जानी चाहिए। निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त अपने स्तर पर समिति बनाकर परीक्षण करते हुए इन दुकानों के निस्तारण की कार्यवाही अविलम्ब करायें।
228/33	सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गो के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति।	सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

228/34	दिनांक 01.01.2014 से महंगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित दर से लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भी भेजा जाये।
228/35	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिष्ठान विनियमावली-1973 में प्रविधानित व्यवस्था के क्रम में कार्यप्रभारित कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर पुनः परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार सुसंगत प्रस्ताव आगामी परिषद की बैठक के समक्ष रखा जाये।
228/36	सहायक अभियन्ता(सिविल) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि नियमानुसार पदोन्नति किये जाने की दशा में आगामी 2 वर्ष नान फील्ड जॉब में ही तैनाती की जाये तथा नान फील्ड की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद ही पदोन्नति पद पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जाये।
228/37	परिषद के नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए लिपिकीय संवर्ग (समूह-"ग") के न्यूनतम वेतनमान के पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने विषयक।	आवास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर पुनः परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार सुसंगत प्रस्ताव आगामी परिषद की बैठक के समक्ष रखा जाये।

प्रशासन अनुभाग

228/38	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कम्प्यूटर संवर्ग की सेवाविनिमावली-2014 के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त विद्यमान शासनादेशों एवं प्रचलित नियमावली का अध्ययन करते हुए सुसंगत प्रस्ताव आवश्यकतानुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
228/39	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	
228/40	भूखण्ड संख्या-2बी/आई0एन0एस0-06 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग संस्थागत से आवासीय में परिवर्तित करने एवं किस्तों पर आवंटित सम्पत्तियों की अवशेष धनराशि जमा करने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जा चुकी हैं तथा दिनांक-16.06.2014 को विक्रय विलेख भी निष्पादित हो चुका है। ऐसी दशा में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, साथ ही यह भी

		निर्णय लिया गया कि अन्य आवंटित सम्पत्तियों की अवशेष किस्तों को जमा कराते हुए पंजीयन की कार्यवाही विलम्बतम दिनांक–31.12.2014 तक पूर्ण करा ली जाये। उक्त अवधि में भी यदि किसी आवंटी द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए विक्रय विलेख निष्पादित नहीं कराया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाये तथा कब्जा प्राप्त करते हुए नीलामी के माध्यम से पुनः निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

आवास आयुक्त

20/6/14

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष